



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 430 राँची, मंगलवार,

8 सितम्बर, 2020 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

6 अगस्त, 2020

संख्या- 12/रिनपास (स्था0)-02-09/2013 (खण्ड) स्वा0 -- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) बिहार गजट के असाधारण अंक 30 सितम्बर 1994 द्वारा अधिसूचित स्वायत्तशासी संस्थान के शिक्षा सम्वर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

- (i) यह नियमावली राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) शिक्षा सम्वर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 के नाम से जानी जाएगी।
- (ii) यह नियमावली राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) के शिक्षा संवर्ग के लिए लागू होगी। इस संस्थान में गैर शैक्षणिक एवं पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए अलग नियमावली बनायी जायेगी।
- (iii) इसका विस्तार झारखण्ड राज्य के रिनपास राँची तथा इसका अन्य इकाई में होगा।
- (iv) यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ:-

- (i) **राज्य:-** राज्य से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य।
- (ii) **संस्थान:-** संस्थान से अभिप्रेत है राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) राँची।
- (iii) **विभाग:-** विभाग से अभिप्रेत है स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।
- (iv) **निदेशक:-** निदेशक से अभिप्रेत है रिनपास संस्थान का निदेशक।
- (v) **संवर्ग:-** संवर्ग से अभिप्रेत है- राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) में कार्यरत शिक्षा सम्वर्ग।
 - (क) ग्रुप A - सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, अपर प्राध्यापक एवं प्राध्यापक (स्थाई पद)
 - (ख) ग्रुप B - सीनियर रेजीडेंट (टेन्योर पद)
 - (ग) ग्रुप C - ट्यूटर एवं रिसर्च ऑफिसर (टेन्योर पद)
- (vi) **प्रबंधकारिणी समिति:-** प्रबंधकारिणी समिति से अभिप्रेत है माननीय सर्वोच्च न्यायालय (केस नं0 W.P.(C) No. 339/1986) द्वारा गठित संस्थान की प्रबंधकारिणी समिति अनुसूची .1।
- (vii) **नियुक्ति प्राधिकार:-** (क) रिनपास के स्थाई ग्रुप A शैक्षणिक सम्वर्ग के स्थायी पद के लिए प्रबंधकारिणी समिति रिनपास नियुक्ति प्राधिकार होगा।
 - (ख) सीमित कालीन (अस्थाई) ग्रुप B एवं C टेन्योर पदों पर नियुक्ति के लिए निदेशक, रिनपास नियुक्ति प्राधिकार होगा।
- (viii) रिनपास के ग्रुप A सम्वर्ग के स्थायी तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक तथा प्रोन्नत सह प्राध्यापक, अपर प्राध्यापक एवं प्राध्यापक राज्य सरकार के कर्मी माने जायेंगे। (झारखण्ड गजट के असाधारण अंक 08 अप्रैल, 2005 द्वारा अधिसूचित) एवं उसपर राज्य सरकार का नियंत्रण होगा।
- (ix) सीमित कालीन (टेन्योर) पदों पर नियुक्ति हेतु चयन उप समिति से अभिप्रेत है, शैक्षणिक सम्वर्ग के सीमित कालीन (टेन्योर) पदों पर नियुक्ति हेतु प्रबंधकारिणी समिति रिनपास, काँके, राँची द्वारा अनुमोदित चयन उप समिति। अनुसूची-2 के अनुसार।
- (x) **प्रोन्नति उप समिति:-** प्रोन्नति उप समिति से अभिप्रेत है शैक्षणिक सम्वर्ग के ग्रुप A के स्थायी सहायक प्राध्यापक की प्रोन्नति हेतु प्रबंधकारिणी समिति, राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) काँके, राँची के द्वारा अनुमोदित प्रोन्नति उप समिति अनुसूची-3 (क)।
- (xi) **आयोग- आयोग का तात्पर्य झारखंड लोकसेवा आयोग से है।**

अध्याय-2**सेवा शर्त****3) सेवा/संवर्ग की रचना एवं बल:-**

राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) की संरचना:- रिनपास में शैक्षणिक संवर्ग अन्तर्गत निम्नलिखित पद होंगे:-

(क) शैक्षणिक कोटि के पद एवं वेतनमान निम्नवत होंगे:-

क्र.सं .	पद का नाम	शैक्षणिक संवर्ग के पदों के अधिकृत बलों के प्रतिशत	छठा केन्द्रीय अपुनरीक्षित वेतनमान	सातवां केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान
1	सहायक प्राध्यापक	44 %	PB III 15600-39100 ग्रेड पे 6600	Level 11 minimum pay Rs. 67,700
2	सह-प्राध्यापक	30 %	PB III 15600-39100 ग्रेड पे 7600	Level 12 minimum pay Rs. 78,800
3	प्राध्यापक / अपर प्राध्यापक	26 %	PB IV 37400-67000 ग्रेड पे 8700	Level 13 minimum pay Rs. 1,23,100
4	चिकित्सा उपाधीक्षक	उपाधीक्षक का एक पद। यह पद सह प्राध्यापक के अधिकृत बल के अन्तर्गत होंगे। संबंधित सहप्राध्यापक को सक्षम स्तर से अधिकृत किये जाने पर वे अपने मूल दायित्व के साथ उपाधीक्षक का चिकित्सा भी कार्य करेंगे।	PB III 15600-39100 ग्रेड पे 7600	Level 12 minimum pay Rs. 78,800
5	चिकित्सा अधीक्षक	अधीक्षक का एक पद। यह पद प्राध्यापक के अधिकृत बल के अन्तर्गत होंगे। संबंधित प्राध्यापक को सक्षम स्तर से अधिकृत किये जाने पर वे अपने मूल दायित्व के साथ चिकित्सा अधीक्षक का भी कार्य करेंगे।	PB IV 37400-67000 ग्रेड पे 8700	Level 13 minimum pay Rs. 1,23,100

(ख) (i) प्रशासनिक कोटि के पद एवं वेतनमान निम्नवत होंगे:-

क्र.सं .	पद का नाम	नियुक्ति प्रक्रिया
1	निदेशक	स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा नियुक्ति या प्रभार
2	उपनिदेशक (0प्र)	प्रतिनियुक्त / पदस्थापन

(ii) शैक्षणिक कोटि के सीमित कालीन (टेन्योर) पद एवं वेतनमान निम्नवत होंगे: -

क्र०सं०	पद का नाम	संविदा राशि
1	रिसर्च ऑफिसर (नॉन मेडिकल)	वित्त विभागीय संकल्प सं०-2176/वि० दिनांक 28.07.2015 के आधार पर उल्लेखित पदों के लिए संविदा राशि दिया जायेगा तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले प्रावधान भी लागू होंगे।
	रिसर्च ऑफिसर (मेडिकल)	
2	नर्सिंग ट्यूटर	

क्र०सं०	पद का नाम	संविदा राशि झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली 2018 में प्रावधानित राशि के अनुसार
1	सीनियर रेजीडेंट	Rs. 60000

नोट: शैक्षणिक कोटि के सीमितकालीन पद एवं वेतन में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित संविदा राशि देय होगा।

अध्याय-3**4. सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति****सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति:-**

- (i) रिनपास में शैक्षणिक सम्बर्ग में स्थायी नियुक्ति सिर्फ सहायक प्राध्यापक के पद पर ही की जायेगी, यह शैक्षणिक संवर्ग का मूल कोटि का पद होगा। अन्य सभी स्थायी पद वरीयता एवं योग्यता के आधार पर उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। शैक्षणिक सम्बर्ग के वे पदाधिकारी जिन्हें रिक्ति की अनुपलब्धता की वजह से प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है उन्हें सरकार के नियमानुसार डी.ए.सी.पी. (मेडिकल)/ एम.ए.सी.पी. (नॉन मेडिकल) देय होगा।

सहायक प्राध्यापक → सह प्राध्यापक → प्राध्यापक /अपर प्राध्यापक

- (ii) रिनपास में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता एवं योग्यता:-

रिनपास में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता एवं योग्यता का उल्लेख **अनुसूची-3(ख)** में क्रमवार किया गया है।

- (iii) (a) **चिकित्सकीय सम्बर्ग के सहायक प्राध्यापक की चयन प्रक्रिया:-** अनुसूची 3(ख) में वर्णित न्यूनतम योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों का राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) के सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के द्वारा आयोजित साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। आयोजित साक्षात्कार में सभी वर्गों के उम्मीदवारों को सफल होने के लिए अनुसूची 3(ग) में अंकित पूर्णांक 51 में न्यूनतम 18 अंक लाना आवश्यक होगा। तत्पश्चात प्राप्त अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों का मेधा सूची बनाया जायेगा। चयन के उपरान्त झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा अनुशंसित सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के अनुमोदन के उपरान्त प्रबंधकारिणी समिति रिनपास द्वारा की जायेगी।

चिकित्सकीय सहायक प्राध्यापक के चयन हेतु अंक बटवारा

चिकित्सकीय सहायक प्राध्यापक के चयन हेतु अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का **अनुसूची -3 (ग)** के अनुसार मूल्यांकन आवंटित किया जायेगा।

- (b) **गैर चिकित्सकीय सम्बर्ग (क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइक्याट्रीक सोशल वर्क, बायो स्टैटिस्टिक्स / स्टैटिस्टिक्स/ नर्सिंग) के सहायक प्राध्यापक की चयन प्रक्रिया:-** राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) के प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची (जे०पी०एस०सी) के द्वारा आयोजित साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। आयोजित साक्षात्कार (प्रतियोगिता परीक्षा) में सभी वर्गों के उम्मीदवारों को सफल होने के लिए पूर्णांक 100 में न्यूनतम 50 अंक लाना

आवश्यक होगा। तत्पश्चात् प्राप्त अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों का मेधा सूची बनाया जायेगा। चयन के उपरान्त झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा अनुशंसित सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के अनुमोदन के उपरान्त प्रबंधकारिणी समिति रिनपास द्वारा की जायेगी।

गैर चिकित्सकीय सहायक प्राध्यापक के चयन हेतु अंक बटवारा

गैर चिकित्सकीय सहायक प्राध्यापक के चयन हेतु अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का अनुसूची-3 (घ) के अनुसार मूल्यांकन आवंटित किया जायेगा।

(iv) सम्बर्गीय पदों पर नियुक्ति हेतु रिक्ति का नियतिकरण ली जनवरी के आधार पर किया जायेगा।¹

अध्याय-4

5. सीनियर रेजिडेंट / नर्सिंग ट्यूटर / रिसर्च ऑफिसर (चिकित्सकीय / गैर चिकित्सकीय) की नियुक्ति प्रक्रिया

- (i) **अर्हता एवं पात्रता:-** रिनपास में सीनियर रेजिडेंट / नर्सिंग ट्यूटर / रिसर्च ऑफिसर (चिकित्सकीय/ गैर चिकित्सकीय) के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता एवं योग्यता का उल्लेख अनुसूची-4 में किया गया है।
- (ii) **चयन प्रक्रिया:-** सीमित कालीन (टेन्योर) पद)) अधिकतम 3 वर्षों के लिए(ग्रुप B एवं C के लिए चयन उप समिति अनुसूची 2- द्वारा सीनियर रेजिडेंट/ ट्यूटर / रिसर्च ऑफिसर की नियुक्ति विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए एक वर्ष के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया से चयन किया जायेगा। टेन्योर पद की अवधि अधिकतम तीन वर्षों के लिए होगी। टेन्योर पद में नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी तथा सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुशंसा के आलोक में एक-एक वर्ष का अधिकतम दो सेवा विस्तार निदेशक रिनपास के द्वारा दिया जा सकेगा। न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी के सीनियर रेजिडेन्सी का पद मात्र 1 वर्ष का होगा।

अध्याय-5

6. सेवा सम्पुष्टि

सम्पुष्टि:- स्थायी रूप से नियुक्त सहायक प्राध्यापक के पद पर सेवा सम्पुष्टि नियुक्ति के दो वर्षों के पश्चात् सहायक प्राध्यापक के रूप में संतोषप्रद सेवा एवं कम्प्यूटर संचालन में दक्षता का व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा आयोजित हिन्दी, लेखा परीक्षा में उत्तीर्णता तथा एक सप्ताह का कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् सेवा सम्पुष्टि प्रबंधकारिणी समिति के अनुमोदनोपरान्त स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जाएगी।

अध्याय-6**7. प्रोन्नति**

- (i) **पद का सोपान:-** (क) सहायक प्राध्यापक से सह प्राध्यापक:- इस पद पर नियमित प्रोन्नति सेवा सम्पुष्टि के उपरान्त वरीयता-सह-योग्यता एवं अनुभव के आधार पर की जाएगी।
- (ख) सह प्राध्यापक से अपर प्राध्यापक / प्राध्यापक:- इस पद पर नियमित प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता एवं अनुभव के आधार पर की जाएगी।
- (ii) प्रोन्नति हेतु अपेक्षित योग्यता एवं अर्हता का उल्लेख **अनुसूची-5 (क एवं ख)** में है।
- (iii) **प्रोन्नति की प्रक्रिया:-** प्रोन्नति हेतु अपेक्षित योग्यता एवं अर्हता पूरी करने वाले पदाधिकारियों को उच्चतर पदों पर उपलब्ध रिक्त के विरुद्ध प्रोन्नति की अनुशंसा प्रोन्नति उप समिति द्वारा की जायेगी। अनुसंशित प्राध्यापकों का प्रबंधकारिणी समिति, रिनपास, काँके, राँची से प्रोन्नति के लिए अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तत् संबंध में अधिसूचना निर्गत किया जायेगा।
- (iv) सम्बर्गीय पदों पर प्रोन्नति हेतु रिक्त का नियतिकरण¹ ली जनवरी के आधार पर किया जायेगा।
- (v) प्रोन्नति के मामले में शोध पत्र के संबंध में Medical Council of India द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में निहित शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

अध्याय -7**विविध**

8. **वरीयता:-** शैक्षणिक संवर्ग के पदाधिकारियों की वरीयता सूची कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में निदेशक द्वारा तैयार किया जायेगा। जिसका अनुमोदन प्रबंधकारिणी समिति द्वारा किया जायेगा। वेतनवृद्धि के लिए हिन्दी एवं विभागीय परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
9. **आरक्षण:-** सभी पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण रोस्टर/ नीति का प्रावधान लागू होगा।
10. **प्रशासनिक नियंत्रण:-** प्रबंधकारिणी समिति, रिनपास, काँके, राँची के माध्यम से राज्य सरकार को शैक्षणिक संवर्ग- (ग्रुप-ए) पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने का अधिकार होगा। निदेशक, रिनपास, काँके, राँची को शैक्षणिक संवर्ग- (ग्रुप.बी एवं सी) पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने का अधिकार होगा।
11. **अनुशासनिक कार्यवाही:-** शैक्षणिक संवर्ग- (ग्रुप-ए) के पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के मामले में प्रबंधकारिणी समिति, रिनपास, काँके, राँची सक्षम प्राधिकार होगा।

सीमित कालीन (टेन्योर) पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों/ कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक रिनपास के माध्यम से प्रबंधकारिणी समिति, रिनपास काँके, राँची सक्षम प्राधिकार होगा।

उक्त संबंध में झारखण्ड सरकारी सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) अनुशासनिक कार्यवाही नियमावली 2016 का उपयोग किया जाएगा तथा सरकार द्वारा समय-समय पर इसमें किये गये संशोधन स्वतः प्रभावी होंगे।

12. **व्यवसायिक भत्ता:-** रिनपास के चिकित्सकीय शिक्षा संवर्ग के सभी पद अनिवार्य रूप से गैर व्यवसायिक पद होंगे। इस पद पर कार्यरत चिकित्सकीय शैक्षणिक सम्बर्ग के प्राध्यापकों एवं पदाधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार अनुमान्य गैर व्यवसायिक भत्ता देय होगा।
13. **अन्य नियम:-** रिनपास, राँची अंतर्गत ऐसा कोई भी मामला जो इस नियमावली के प्रावधानों से अच्छादित नहीं है या संशय की स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य सरकार में अद्यतन प्रचलित नियमों के अनुसार प्रबंधकारिणी समिति के अनुमोदनोपरान्त राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर रिनपास में लागू किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त समय-समय पर MCI (Medical Council of India) द्वारा प्रकाशित नियमों एवं प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।
14. रिनपास में नियुक्त होने वाले सभी श्रेणी के सहायक प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक को आवश्यकतानुसार समय-समय पर झारखण्ड राज्य के किसी भी जिले में चिकित्सकीय सेवा देनी होगी, चूँकि राज्य में मनोचिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु रिनपास ही एक मात्र संस्थान है।
15. **नियमों में परिवर्तन / संशोधन का अधिकार:-** इस नियमावली में यथा आवश्यक परिवर्तन / संशोधन प्रबंधकारिणी समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पारित किए जाने के उपरान्त विभागीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा, जिस पर विभागीय स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर रिनपास, राँची में लागू किया जा सकेगा।
16. **निरसन एवं व्यवृत्ति:-**
 - (i) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस नियमावली के विषयों पर पूर्व में निर्गत कोई नियमावली/ विनियमन/ अनुदेश / आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।
 - (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियमावली संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई इस नियमावली द्वारा किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 22.07.2020 को मद संख्या-17 के रूप में प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० नितिन कुलकर्णी,
सरकार के प्रधान सचिव

अनुसूची-1**प्रबंधकारिणी समिति**

(i)	विकास आयुक्त, झारखंड सरकार, रांची।	अध्यक्ष
(ii)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य चि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखंड सरकार, रांची।	सदस्य
(iii)	डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट-सह- उपायुक्त, रांची।	सदस्य
(iv)	वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची	सदस्य
(v)	झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनित दो गैर सरकारी सदस्य (उनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए)	सदस्य
(vi)	झारखण्ड सरकार द्वारा नामित एक प्रख्यात मनोचिकित्सक और एक एन०जी०ओ०	सदस्य
(vii)	निदेशक, रिम्स, राँची	सदस्य
(viii)	निदेशक, रिनपास, काँके, रांची	सदस्य सचिव
नोट :-क्रम संख्या v से vi तक का हर तीन साल में पुर्ननामांकन तथा अधिसूचित किया जाएगा।		

अनुसूची-2

ग्रुप A, B एवं C सीमित कालीन (टेन्योर) पदों के लिए चयन उप समिति

1. सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार	अध्यक्ष
2. निदेशक, रिनपास, काँके, राँची	सदस्य सचिव
3. स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के रिनपास प्रशाखा के अपर सचिव /संयुक्त सचिव / उप सचिव।	सदस्य
4. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा ST/SC मनोनित सदस्य।	सदस्य
5. उप निदेशक (प्र0), रिनपास, काँके, राँची	सदस्य
6. निदेशक, सी0आई0पी0, राँची / रिम्स, राँची / निम्हांस बेंगलुरु के द्वारा नामित संबंधित विभाग / विषय के विशेषज्ञ सह प्राध्यापक के अन्यून स्तर के।	सदस्य
7. विषय से संबंधित विभागाध्यक्ष, रिनपास, काँके, राँची	सदस्य

नोट:- कंडिका-6 हेतु विशेषज्ञ बुलाने के लिए सी0आई0पी0, काँके, राँची को प्राथमिकता दी जायेगी। सी0आई0पी0, काँके, राँची में विशेषज्ञ नहीं होने की स्थिति में क्रमशः रिम्स, राँची तथा निम्हांस, बेंगलुरु से विशेषज्ञ बुलाये जायेंगे।

अनुसूची - 3(क)**प्रोन्नति उप समिति के सदस्य:-**

1. निदेशक, रिनपास, काँके, राँची	अध्यक्ष
2. स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, के रिनपास प्रशाखा के अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव।	सदस्य
3. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा ST/SC मनोनित सदस्य।	सदस्य
4. निदेशक, सी0आई0पी0, राँची / रिम्स, राँची / निम्हांस बेंगलुरु के द्वारा नामित संबंधित विभाग / विषय के विशेषज्ञ सह प्राध्यापक के अन्यून स्तर के।	सदस्य
5. संबन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष, रिनपास	सदस्य सचिव

नोट:- कंडिका-4 हेतु विशेषज्ञ बुलाने के लिए सी0आई0पी0, काँके, राँची को प्राथमिकता दी जायेगी। सी0आई0पी0, काँके, राँची में विशेषज्ञ नहीं होने की स्थिति में क्रमशः रिम्स, राँची तथा निम्हांस, बेंगलुरु से विशेषज्ञ बुलाये जायेंगे।

अनुसूची -3 (ख)

शिक्षा संवर्ग के स्थाई पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं अहर्ताएँ

क्र० सं०	पद	उम्र सीमा	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
1	असिस्टेंट प्रोफेसर (साईक्याट्री)	सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष होगी, पिछड़ा/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए 47 वर्ष, महिला (अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) के लिए 48 वर्ष तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए 50 वर्ष होगी। परन्तु झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों के लिए उम्र सीमा का बंधन नहीं होगा।	शैक्षणिक योग्यता:- Medical Council of India द्वारा permitted / recognized संस्थान से एम0डी0 / डी0एन0बी0 साईक्याट्री। अनुभव:- भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम0सी0आई0) द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुभव संबंधी मापदण्ड मान्य होगा।
2	असिस्टेंट प्रोफेसर (न्यूरोलॉजी)		शैक्षणिक योग्यता:- Medical Council of India द्वारा permitted / recognized संस्थान से डी0एम0 न्यूरोलॉजी। अनुभव:- भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम0सी0आई0) द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुभव संबंधी मापदण्ड मान्य होगा।
3	असिस्टेंट प्रोफेसर (न्यूरोसर्जरी विभाग)		शैक्षणिक योग्यता:- Medical Council of India द्वारा permitted / recognized संस्थान से एम0सी0एच0 न्यूरोसर्जरी। अनुभव:- भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम0सी0आई0) द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुभव संबंधी मापदण्ड मान्य होगा।
4	असिस्टेंट प्रोफेसर (रेडियोलॉजी)		शैक्षणिक योग्यता:- Medical Council of India द्वारा permitted / recognized संस्थान से एम0डी0 रेडियोलॉजी। अनुभव:- भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम0सी0आई0) द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुभव संबंधी मापदण्ड मान्य होगा।
5	असिस्टेंट प्रोफेसर (क्लिनिकल साईकोलॉजी)		शैक्षणिक योग्यता:- (i) Univrsity Grant Commission से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान से क्लिनिकल साईकोलॉजी अथवा साईकोलॉजी जिसमें से क्लिनिकल साईकोलॉजी का एक पेपर होना आवश्यक होगा, में कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम0ए0/ एम0एस0सी0 डिग्री तथा (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान से क्लिनिकल साईकोलॉजी में पी0एच0डी0 / डी0एस0सी0 (Doctor of Philosophy / Doctor in Science) डिग्री। अनुभव:- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान से पी0एच0डी0 / डी0एस0सी0 डिग्री के उपरान्त 3 वर्ष का संबंधित विषय में शिक्षण एवं शोध का अनुभव तथा indexed / national journals में दो शोध पत्र का प्रकाशन।
6	असिस्टेंट प्रोफेसर (साईक्याट्रिक सोशल वर्क)		शैक्षणिक योग्यता:- (i) Univrsity Grant Commission से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान से Social Work with Medical & Psychiatric Social Work as one paper /सोशियोलॉजी में कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम0ए0/ एम0एस0डब्लू0 डिग्री तथा (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान

		से साइक्याट्रिक सोशल वर्क में पी0एच0डी0 / डी0एस0सी0 (Doctor of Philosophy / Doctor in Science) डिग्री। अनुभव:- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान से पी0एच0डी0 / डी0एस0सी0 डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त 3 वर्ष का संबंधित विषय में शिक्षण एवं शोध का अनुभव तथा indexed / national journals में दो शोध पत्र का प्रकाशन।
7	असिस्टेंट प्रोफेसर (साइक्याट्रिक नर्सिंग)	शैक्षणिक योग्यता:- (i) मान्यता प्राप्त संस्थान से साइक्याट्रिक नर्सिंग विशेषज्ञता के साथ कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम0एस0सी0 नर्सिंग तथा (ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से नर्सिंग में पी0एच0डी0/ डी0एस0सी0 डिग्री। अनुभव:- मान्यता प्राप्त संस्थान में वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के उपरान्त 3 वर्ष का संबंधित विषय में शिक्षण एवं शोध का अनुभव तथा indexed / national journals में दो शोध पत्र का प्रकाशन।
8	असिस्टेंट प्रोफेसर बायोस्टेटिस्टिक्स / स्टेटिस्टिक्स	शैक्षणिक योग्यता:- (i) मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्टेटिस्टिक्स (बायोस्टेटिस्टिक्स को प्राथमिकता दी जायेगी। तथा (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से स्टेटिस्टिक्स में पी0एच0डी0 (बायोस्टेटिस्टिक्स को प्राथमिकता दी जायेगी) / डी0एस0सी0 डिग्री। अनुभव:- मान्यता प्राप्त संस्थान से पी0एच0डी0 / डी0एस0सी0 डिग्री के उपरान्त 3 वर्ष का संबंधित विषय में शिक्षण एवं शोध का अनुभव तथा indexed / national journals में दो शोध पत्र का प्रकाशन।

अनुसूची- 3 (ग)**चिकित्सकीय सम्बर्ग के सहायक प्राध्यापक की चयन प्रक्रिया**

a) अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का निम्नरूपेण मूल्यांकन आवंटित किया जायेगा।

अभ्यर्थी द्वारा तीन MBBS का प्राप्तांकों का कुल योग % में।	70% से ऊपर	65% से ऊपर	60% से ऊपर	55% से ऊपर	50% से ऊपर
अभ्यर्थी को दिये जाने वाले अंक	5	4	3	2	1

- b) संबंधित विषय में MD / MS / DNB की डिग्री - 10 अंक
- c) पी0एच0डी0, डी0एम0, एम0सीएच0 - 10 अंक
- d) साक्षात्कार - 6 अंक
- e) सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव (प्रतिवर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक) - 10 अंक
- f) तीन विश्वविद्यालय एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए 1 (एक) अंक घटाया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी, जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों, वे पात्र नहीं होंगे।
- g) अधिकतम 10 (दस) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी ऑल इंडिया मेडिकल जर्नल, जो किसी ऑल इंडिया सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, अथवा किसी विदेशी मेडिकल जर्नल, जो समान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल आगर्न हो, में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2 (दो) अंक।
- h) सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम 18 (अठारह) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अनुसूची- 3 (घ)

गैर चिकित्सकीय सम्बर्ग (क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइक्याट्रीक सोशल वर्क, बायो स्टैटिस्टिक्स / स्टैटिस्टिक्स / नर्सिंग) के सहायक प्राध्यापक की चयन प्रक्रिया।

Examination	Maximum Weightage	Table
Matriculation	10	I
Intermediate	10	II
Graduation	18	III
Post Graduate	22	IV
Ph.D/NET/JET	15	V
Post Ph.D Research / Teaching Experience	05	VI
Publications	05	VII
Interview	15	
Total	100	
Note: Conversion of Grade Points to percentage equivalent will be carried out as per the Conversion Formula laid down by the University concerned. However, where the Universities have not laid down the Conversion Formula the determination of marks for the academic merit and weightage shall be established on the basis of Schedule I to IV.		

Table-I

Marks for the Examination at Matric Level (Based on 6 points scale)			
Sl.No.	Grade Points	Percentage Equivalent	Marks
1	5.5 – 6.0	75 and above	10
2	5.40	74	9.8
3	5.30	73	9.6
4	5.20	72	9.4
5	5.10	71	9.2
6	5.00	70	9.0
7	4.90	69	8.8
8	4.80	68	8.6
9	4.70	67	8.4
10	4.60	66	8.2
11	4.50	65	8.0
12	4.40	64	7.8
13	4.30	63	7.6
14	4.20	62	7.4
15	4.10	61	7.2
16	4.00	60	7.0
17	3.90	59	6.8
18	3.80	58	6.6
19	3.70	57	6.4
20	3.60	56	6.2
21	3.50	55	6.0
22	3.40	54	5.8
23	3.30	53	5.6

Note: If any candidate has percentage equivalent {or corresponding grade point} between two consecutive whole number percentages, then he/she will be assigned lower percentage or higher percentage mark depending upon whether the Percentage equivalent is less than 0.5 or 0.5 and above

Example:

Percentage

<u>Equivalent</u>	<u>Marks</u>
59	6.8
58	6.6
58.6	6.8
58.4	6.6

24	3.20	52	5.4
25	3.10	51	5.2
26	3.00	50	5.0
27	2.90	49	4.8
28	2.80	48	4.6
29	2.70	47	4.4
30	2.60	46	4.2
31	2.50	45	4.0
32	2.40	44	3.8
33	2.30	43	3.6
34	2.20	42	3.4
35	2.10	41	3.2
36	2.00	40	3.0
37	1.90	39	2.8
38	1.80	38	2.6
39	1.70	37	2.4
40	1.60	36	2.2
41	1.50	35	2.0

Table -II

Marks for the Examination at Intermediate Level (Based on 6 points scale)			
Sl.No.	Grade Points	Percentage Equivalent	Marks
1	5.5 – 6.0	75 and above	10
2	5.40	74	9.8
3	5.30	73	9.6
4	5.20	72	9.4
5	5.10	71	9.2
6	5.00	70	9.0
7	4.90	69	8.8
8	4.80	68	8.6
9	4.70	67	8.4
10	4.60	66	8.2
11	4.50	65	8.0
12	4.40	64	7.8
13	4.30	63	7.6
14	4.20	62	7.4
15	4.10	61	7.2
16	4.00	60	7.0
17	3.90	59	6.8
18	3.80	58	6.6
19	3.70	57	6.4
20	3.60	56	6.2
21	3.50	55	6.0
22	3.40	54	5.8
23	3.30	53	5.6
24	3.20	52	5.4

Note: If any candidate has percentage equivalent {or corresponding grade point} between two consecutive whole number percentages, then he/she will be assigned lower percentage or higher percentage mark depending upon whether the Percentage equivalent is less than 0.5 or 0.5 and above

Example:

Percentage

Equivalent

Marks

59	6.8
58	6.6
58.6	6.8
58.4	6.6

25	3.10	51	5.2
26	3.00	50	5.0
27	2.90	49	4.8
28	2.80	48	4.6
29	2.70	47	4.4
30	2.60	46	4.2
31	2.50	45	4.0
32	2.40	44	3.8
33	2.30	43	3.6
34	2.20	42	3.4
35	2.10	41	3.2
36	2.00	40	3.0
37	1.90	39	2.8
38	1.80	38	2.6
39	1.70	37	2.4
40	1.60	36	2.2
41	1.50	35	2.0

Table -III

Marks for the Examination at Graduation Level (Based on 6 points scale)			
Sl.No.	Grade Points	Percentage Equivalent	Marks
1	5.5 – 6.0	75 and above	18.0
2	5.40	74	17.5
3	5.30	73	17.0
4	5.20	72	16.5
5	5.10	71	16.0
6	5.00	70	15.5
7	4.90	69	15.0
8	4.80	68	14.5
9	4.70	67	14.0
10	4.60	66	13.5
11	4.50	65	13.0
12	4.40	64	12.5
13	4.30	63	12.0
14	4.20	62	11.5
15	4.10	61	11.0
16	4.00	60	10.5
17	3.90	59	10.0
18	3.80	58	9.5
19	3.70	57	9.0
20	3.60	56	8.5
21	3.50	55	8.0
22	3.40	54	7.5
23	3.30	53	7.0

Note: If any candidate has percentage equivalent {or corresponding grade point} between two consecutive whole number percentages, then he/she will be assigned lower percentage or higher percentage mark depending upon whether the Percentage equivalent is less than 0.5 or 0.5 and above

Example:**Percentage**

<u>Equivalent</u>	<u>Marks</u>
59	10.0
58	9.5
58.6	10.0
58.4	9.5

<u>Grade Point</u>	<u>Marks</u>
3.90	10.0
3.80	9.5

24	3.20	52	6.5
25	3.10	51	6.0
26	3.00	50	5.5
27	2.90	49	5.0
28	2.80	48	4.5
29	2.70	47	4.0
30	2.60	46	3.5
31	2.50	45 and below	3.0

Table -IV

Marks for the Examination at Post Graduation Level (Based on 6 points scale)			
Sl.No.	Grade Points	Percentage Equivalent	Marks
1	5.5 – 6.0	75 and above	22.00
2	5.40	74	21.25
3	5.30	73	20.50
4	5.20	72	19.75
5	5.10	71	19.00
6	5.00	70	18.25
7	4.90	69	17.50
8	4.80	68	16.75
9	4.70	67	16.00
10	4.60	66	15.25
11	4.50	65	14.50
12	4.40	64	13.75
13	4.30	63	13.00
14	4.20	62	12.25
15	4.10	61	11.50
16	4.00	60	10.75
17	3.90	59	10.00
18	3.80	58	9.25
19	3.70	57	8.50
20	3.60	56	7.75
21	3.50	55	7.00
22	3.40	54	6.25

Note: If any candidate has percentage equivalent {or corresponding grade point} between two consecutive whole number percentages, then he/she will be assigned lower percentage or higher percentage mark depending upon whether the Percentage equivalent is less than 0.5 or 0.5 and above

Example:

Percentage

<u>Equivalent</u>	<u>Marks</u>
59	10.0
58	9.25
58.6	10.0
58.4	9.25

23	3.30	53	5.50
24	3.20	52	4.75
25	3.10	51	4.00

Table -V		
Marks for Ph.D/NET/JET		
Sl. No.	Grade Points	Marks
1.	Ph.D.	15.00
2.	Ph.D. as per 2009 UGC Regulation with NET/JRF	12.00
3.	NET/JET without Ph.D.	9.00
4.	Ph.D. as per 2009 UGC Regulation	9.00
5.	Candidates registered for Ph.D programme before 11.07.2009 as per provisions laid in Section 57 (2) (b) of JSU (Amendment) Act. 2017	9.00

<u>Table -VI</u>			
Post-Ph.D. Research experience / Teaching experience to be claimed for appointment (the period required to acquire M.Phil and / or the residency period to acquire Ph.D. degree shall not be considered as teaching experience) – Maximum 05 Marks			
1.	Post-Ph.D. research experience as postdoctoral fellow/Research Associate / Research Scientist etc. in recognized University/ Institution in India or abroad	1 mark for every 6 Months or 3 marks for every 1 year	Maximum 5 Marks
2.	Teaching experience (as full-time and hoc, temporary or permanent) in recognized University / College/Institution)	1 mar for every 6 Months or 3 marks for every 1 year	
Note: The period of time taken by candidates to acquire M.Phil and / or Ph.D. Degree shall not be considered as teaching / research experience.			

Table -VII	
Publication : Maximum 05 Marks	
(i)	Published Paper in UGC listed Journals for API assessment: I mark per paper.

- | | |
|-------|---|
| (ii) | Best Paper / Post award at a National / International Symposium / Conference: 1 mark / paper or poster. |
| (iii) | Books published by University, National Institutes/ Standard publishers:

(a) Authored Book : 1.25 Mark/book

(b) Co-authored Book : 1.00 mark/book

(c) Chapter in Edited book : 0.75 mark / chapter |

अनुसूची- 4
विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के टेन्योर पदों के लिए

क्र०सं०	पद	उम्र	शैक्षणिक योग्यता
1.	सीनियर रेजिडेंट (साइक्याट्री)	शैक्षणिक सम्बर्ग के टेन्योर पद के लिए नियुक्ति हेतु नियूनतम उम्र सीमा 27 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु समय-समय पर निर्धारित उम्र सीमा के अनुरूप प्रभावी होगी।	शैक्षणिक योग्यता:- एम०डी० साइक्याट्री / डी०पी०एम० (Diploma in Psychological Medicine)
2.	सीनियर रेजिडेंट (न्यूरोलॉजी या न्यूरोसर्जरी)		शैक्षणिक योग्यता:- डी०एम० न्यूरोलॉजी / एम०सी०एच० न्यूरोसर्जरी)
3.	नर्सिंग ट्यूटर (नर्सिंग)		शैक्षणिक योग्यता:- एम०एस०सी० नर्सिस/पी०एच०डी० / डी०एस०सी० डिग्री नर्सिंग
4.	रिसर्च ऑफिसर (साइक्याट्री, क्लिनिकल साइकोलॉजी एवं साइक्याट्रिक सोशल वर्क)		शैक्षणिक योग्यता:- साइक्याट्री विभाग:- मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से एम०डी० साइक्याट्री/ डी०पी०एम० (Diploma in Psychological Medicine) या MBBS. एम०डी० साइक्याट्री / डी०पी०एम० को प्राथमिकता दी जाएगी। क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग:- मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से क्लिनिकल साइकोलॉजी में एम०फिल० / पी०एच०डी० /डी०एस०सी० डिग्री। साइक्याट्रिक सोशल वर्क विभाग:- मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से साइक्याट्रिक सोशल वर्क में एम०फिल० / पी०एच०डी० /डी०एस०सी० डिग्री।

अनुसूची 5 - प्रोन्नति हेतु योग्यता एवं अर्हता

(क) रिनपास के सभी विभागों के लिए (न्यूरोलॉजी विभाग/ न्यूरोसर्जरी विभाग छोड़कर)

क्र० सं०	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अपेक्षित अनुभव
1	असिस्टेंट प्रोफेसर	एसोसियेट प्रोफेसर	इस पद पर नियमित प्रोन्नति वरीयता सह-योग्यता के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद् के नियमों के अनुसार प्रदान की जायेगी। इन पदों पर नियमित प्रोन्नति हेतु एम०सी०आई० द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि प्रभावी होगा।
2	एसोसियेट प्रोफेसर	प्रोफेसर / एडीशनल प्रोफेसर	इस पद पर नियमित प्रोन्नति वरीयता सह-योग्यता के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद् के नियमों के अनुसार प्रदान की जायेगी। इन पदों पर नियमित प्रोन्नति हेतु एम०सी०आई० द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि प्रभावी होगा।

5 (ख) न्यूरोलॉजी विभाग / न्यूरोसर्जरी विभाग एवं अन्य सुपर स्पेशैलिटी विभाग

क्र० सं०	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अपेक्षित अनुभव
1	असिस्टेंट प्रोफेसर	एसोसियेट प्रोफेसर	इस पद पर नियमित प्रोन्नति वरीयता सह-योग्यता के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद् के नियमों के अनुसार प्रदान की जायेगी। इन पदों पर नियमित प्रोन्नति हेतु एम०सी०आई० द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि प्रभावी होगा।
2	एसोसियेट प्रोफेसर	प्रोफेसर / एडीशनल प्रोफेसर	इस पद पर नियमित प्रोन्नति वरीयता सह-योग्यता के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद् के नियमों के अनुसार प्रदान की जायेगी। इन पदों पर नियमित प्रोन्नति हेतु एम०सी०आई० द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि प्रभावी होगा।
